रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939
No. 1051] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

का. आ. 1178(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 989 (अ) के *तहत* प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अहमदाबाद को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका अधिकारक्षेत्र अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिए संपूर्ण गुजरात राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, श्री पी. बी. देसाई, प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 3003 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो गए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3003 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, गुजरात, सोला, अहमदाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री एम. के. दवे, प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV(भाग-I खण्ड-II)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2018

S.O. 1178(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 989 (E) dated the 30th April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the territory of State of Gujarat for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri P.B. Desai, Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3003 (E) dated the 27th November, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has retired from service on 31.12.2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3003 (E), dated the 27th November, 2014, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Gujarat, Sola, Ahmedabad, hereby appoints Mr. M.K. Dave, Principal Judge, City Civil and Sessions Judge, Ahmedabad, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-I) (Vol.-II)]
SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.19 16:04:20 +05'30'